न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 15/2020

दायर दिनांकः 02.11.2020

निर्णय दिनांक 28.04.2025

—: अनवान :—

1. अनिता पत्नि जगदीशचन्द्र जी (पुत्री जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी बोरज, तहसील राजसमंद हाल निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
2. कैलाशी पत्नि राजु जी (पुत्री पन्नालाल जी) जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी बोरज, तहसील राजसमंद हाल निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
3. दुर्गा पत्नि भैरूशंकर जी (पुत्री पन्नालाल जी) जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी बोरज, तहसील राजसमंद हाल निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ

— प्रार्थीगण/निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत बोरज जरिये सरपंच सचिव ग्राम पंचायत बोरज तहसील व जिला राजसमन्द
2. दिनेश पुत्र पन्नालाल जी जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी बोरज, तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
3. मांगीलाल पुत्र पन्नालाल जी जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी बोरज, तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
4. गणपतसिंह पिता हमेरसिंह जी चौहान राजपूत आयु वयस्क निवासी खारण्डिया, बोरज, तहसील व जिला राजसमंद

— गैर निगराकारगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध आदेश अधिनस्थ ग्राम पंचायत बोरज जिसके द्वारा दिनांक 28.08.2019 को पट्टा जारी किया गया जिसका पंजियन कार्यालय उप पंजियक राजसमंद के यहाँ पर दिनांक 14.07.2020 को करवाया गया जिसके पट्टा संख्या 5217 दिनांक 28.08. 2019 है, को निरस्त कराने बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।
3— श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02,03,04

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा क्रमांक 5217 दिनांक 28.08.2019 द्वारा ग्राम पंचायत बोरज पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बोरज द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में आवासीय भुखण्ड का पट्टा 1575 वर्गफीट का जारी किया गया है। जिसके पडौस पूर्व में बाबुलाल परमार का खेत, नाप 45 फीट, पश्चिम में नानालाल ढिलीवाल का मकान नाप 45 फीट उत्तर में गली व मांगीलाल का मकान नाप 35 फीट एवं दक्षिण में आम रास्ता नाप 35 फीट है। उक्त पडौसो के मध्य के भुखण्ड का पट्टा नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत दिनांक 28.08.2019 को निश्चित शुल्क 200/– रूपये पर जारी किया गया है। उक्त जारी किया गया पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमो की पालना किये बगेर ही जारी कर दिया गया हे। पट्टा जारी करने के संबध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं उसके तहत बनाये गये नियमो की पालना उक्त मामले में नहीं की गई है। इसलिए उक्त पट्टे को निरस्त कराना आवश्यक है। इस हेतु यह निगरानी याचिका इन आधारो पर प्रस्तुत है कि ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं हे। अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया है। उक्त मकान निगराकार व विपक्षीगण संख्या दो तीन का पैतृक मकान है। संयुक्त परिवार का अविभाजित मकान है जिसके संबध में विपक्षी संख्या दो के पक्ष में उक्त पट्टा जारी करने में त्रुटि कारित की है। विपक्षी संख्या दो उक्त मकान का अकेला मालिक नहीं है। मकान पन्नालाल जी के स्वर्गवास के बाद विरासत से सभी पक्षकारान को अर्थात निगराकार एवं विपक्षी संख्या दो व तीन को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है जिसमें सभी का 1/5 1/5 हिस्सा निहित है। लेकिन ग्राम पंचायत ने अकेले विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी करने में त्रुटि कारित की है। उक्त मकान पन्नालाल जी की विरासत से निगराकार को प्राप्त हुआ है। मकान के संबध में निगराकार का हक अधिकार होते हुऐ भी उनकी बेजानकारी में यह पट्टा जारी किया गया है जो विधि के विपरित है। ग्राम पंचायत को निगराकार व अन्य वारीसान क सहमती के बगेर अकेले विपक्षी संख्या दो के नाम पर पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा दिनांक 28.08.2019 को जारी किया गया है जिसमें पट्टे शुदा भूमि का 40 वर्षों से अधिक पुराना मकान बना होना बताया गया है जबकि आवंटी की उम्र ही 40 वर्ष नहीं है जिससे यह प्रमाणित है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पैतृक मकान का जारी किया गया है लेकिन पन्नालाल जी के अन्य वारीसान को न तो सुना गया न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया न ही उनकी सहमती प्राप्त की गई और उक्त पट्टा जारी कर दिया गया जो विधि के विपरित है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे की कार्यवाही में केवल मात्र औपचारिकताएँ ही की है। प्रार्थना पत्र पेश होते ही उसकी औपचारिकताएं पूरी कराये बगेर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया है। मौके की कोई जॉच नहीं की गई है। पर्चा मौका दिनांक 15.08.2019 को ही बनाया गया है जबकि उक्त दिनांक को मामले की सुनवाई नियत थी। सारी कार्यवाही छपे हुऐ परफोरमें में की गई है। निगराकार को पन्नालाल जी के स्वर्गवास के बाद अन्य सम्पत्तियाँ कृषि भुमि के रूप में प्राप्त हुई है जो राजस्व रेकार्ड में विरासत के नामान्तरकरण से दर्ज हुई थी लेकिन उक्त मकान का पट्टा नियमो से परे जाकर ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या दो के नाम पर जारी करने में त्रुटि कारित की है। उक्त पट्टे शुदा भुमि के स्वामित्व के संबंध में विपक्षी संख्या दो द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। यहाँ तक कि उक्त भुमि के संबंध में मकान स्वयं द्वारा निर्मित किया हो या स्वयं का कब्जा आधिपत्य रहा हो इस बाबत् भी कोई शपथ पत्र भी पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। निगराकार की और से पूर्व में दिनांक 23.04.2016 को एक आम सूचना अपने अधिवक्ता जितेन्द्र जी पालीवाल के जरिये

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकाशित करवाई गई थी लेकिन उक्त आम सूचना के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करना न केवल अवैद्य एवं विधि विरूद्ध है बल्कि ग्राम पंचायत ने आपसी मिलीभगत करते हुऐ निगराकार के हक अधिकार को मारने की नियत से उक्त पट्टा जारी किया है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टे के आधार पर विपक्षी संख्या दो द्वारा विपक्षी संख्या चार के पक्ष में दिनांक 15.07.2020 को उक्त मकान का विकय विलेख निष्पादित व कार्यालय उप पंजियक राजसमंद के यहाँ पर पंजीबद्ध करवाया है। विपक्षी संख्या चार उक्त ग्राम पंचायत का ही निवासी है जिसे यह जानकारी होते हुऐ भी कि निगराकार पन्नालाल जी की विधिक वारीसान है उनका हक अधिकार उक्त सम्पत्ति में निहित है फिर भी उक्त पट्टे को आधार बना कर विकय पत्र अपने पक्ष में निष्पादित व पंजियन कराया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पट्टे का पंजियन दिनांक 14.07.2020 को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में हुआ था और उसके दूसरे दिन ही दिनांक 15.07.2020 को उक्त पट्टे के आधार पर विक्रय पत्र निष्पादित व पंजियन कराया दिया जो विधि के विपरित है। पट्टे शुदा जायदाद विपक्षी संख्या दो की अकेले की नहीं है लेकिन उसने पुरा मकान अपना बताते हुऐ उक्त पट्टा जारी करवाया है जो विधि के विपरित है। विपक्षी संख्या चार उक्त मकान का सद्भावी केता नहीं है। उसे उक्त सारे तथ्यो की जानकारी होते हुऐ भी पट्टे के आधार पर अपने पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित व पंजियन कराया है। जब विपक्षी संख्या दो को ही उक्त जायदाद में हक अधिकार निहित नहीं है विपक्षी संख्या दो अपने हक अधिकार से अधिक सम्पदा अंतरण नहीं कर सकता है और यदि ऐसा अंतरण कर भी दिया गया है तो कानूनन उक्त विक्रय विलेख ही निगराकार के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैद्य शुन्य व प्रभावहीन होकर ऐबिनिश्योवोईड है और ऐसे दस्तावेज को कानूनन निरस्त कराने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मूल पट्टा ही विपक्षी संख्या दो के पक्ष में गलत रूप से जारी किया गया है। विपक्षी संख्या चार कानूनन औपचारिक रूप से आवश्यक पक्षकार होने से उसे पक्षकार बनाया गया है। विपक्षी संख्या तीन निगराकार बनने के लिए तैयार नहीं होने व विपक्षी संख्या तीन कानूनन आवश्यक पक्षकार होने से उसे विपक्षी संख्या तीन के रूप में पक्षकार बनाया गया है। उक्त पट्टे की जानकारी मकान के विक्रय किये जाने पर विकय पत्र निकलाने एवं ग्राम पंचायत से पट्टे की नकल प्राप्त होने पर हुई है और जानकारी होते ही यह निगरानी याचिका प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बोरज द्वारा दिनांक 28.08.2019 को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 5217 पंजियन दिनांक 14.07.2020 को निरस्त फरमाया जावे। निगराकार के नाम पर उक्त मकान का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को आदेशित/निर्देशित फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित। तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए। ग्राम पंचायत बोरज से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वह अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही जारी किया है जिस सम्पति के संबंध में पट्टा किया गया है वह न तो सयुंक्त है न ही अविभाजित है न ही प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या–2, 3 का 1/5 1/5 हिस्सा है बल्कि विपक्षी संख्या–2 के स्वामित्व आधिपत्य का है। वादग्रस्त मकान विपक्षी संख्या–2 को प्राप्त हुआ है और विपक्षी संख्या–3 को शांतिलाल जी परमार के मकान के पास सम्पति मिली है और इसकी जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से रही है। पट्टा जारी होने की प्रकियां से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पंचायती राज अधिनियम की पालना करते हुए पट्टा जारी किया गया है और उस कार्यवाही के दौरान् प्रार्थीगण को कोई आपत्ति उजर एतराज पंचायत में दर्ज नहीं करवाई है। इससे यह नहीं माना जा सकता है कि इस तथ्य की कि वादीगण को उक्त पट्टे की जानकारी नहीं रही है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

वादग्रस्त सम्पति के बारे में पंचायत में मकान के संबंध में यह जाहिर किया है कि उक्त पुराना है जिसमें विपक्षी संख्या–2 द्वारा काबिज होकर उपयोग उपभोग किया जा रहा है उस आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त पट्टा जारी किया है। उक्त मकान पैतृक नही है। विपक्षी संख्या–2 के स्वामित्व आधिपत्य का था। विपक्षी संख्या–1 ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी करने के संबंध में पंचायती राज अधिनियम के तहत सारी कार्यवाही करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीगण का ग्राम पंचायत पर इस प्रकार का आरोप लगाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त पट्टा जारी नही करने के संबंध में ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश नही किया है अब इस प्रकार का मिथ्या दौषारोपण किया जाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। पंचायत ने विधि अनुसार पट्टा जारी कर उसका पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय राजसमन्द के यहा से गैरनिगराकार संख्या–2 के नाम से पंजीयन करवाया है। वर्तमान में पन्नालाल जी के नाम कोई भी कृषि भूमियां विरासत से प्राप्त हुई नही है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की त्रुटी कारित नही है। पट्टा जारी करने के संबंध में पंचायत ने जांच कमेटी गठित की है जिसमें मौका पर्चा मुर्तीब किया जिस पर गैरनिगराकार संख्या–2 का कब्जा पाये जाने की स्थिति में पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए सामान्य तौर पर यह पट्टा जारी किया गया है जिस पर प्रार्थीगण ने कोई उजर एतराज नही की है अब इस प्रकार पंजीकृत पट्टे को निरस्त कराने का कोई हक अधिकार नही है। तथाकथित आम सूचना की गैरनिगराकार को जानकारी नही है। क्या आम सूचना प्रकाशित करवाई है? पंचायत ने नियमो एवं कानून के तहत बिना किसी भेदभाव के सामान्य प्रक्रिया के आधार पर यह पट्टा जारी किया गया है। ऐसी क्या परिस्थिति रही कि निगराकार द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में कोई उजर एतराज आपत्ति दर्ज नही करवाई केवल मात्र पंचायत पर मिथ्या दौषारोपण किया जाना विधि अनुसार गलत है। उक्त सम्पति गैरनिगराकार संख्या–2 के स्वामित्व आधिपत्य की थी जिसके संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं विधि के तहत प्रक्रिया अपनाते हुए जांच करते हुए पट्टा जारी कर पंजीबद्ध करवाया है और उसके बाद गैरनिगराकार संख्या–2 ने गैरनिगराकार संख्या–4 को सप्रतिफल राशि प्राप्त कर उक्त सम्पति विक्रय की है तब से गैरनिगराकार संख्या–4 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। पट्टशुदा जमीन विपक्षी संख्या–2 की थी जिसने नियमो व विधि अनुसार विपक्षी संख्या–4 को विक्रय की। वादग्रस्त सम्पति को गैरनिगराकार संख्या–4 ने प्रतिफल राशि अदा कर सम्पति क्रय की है अब वह सद्भावी केता है। प्रार्थीगण / निगराकार का उक्त सम्पति में कोई हक अधिकार नही है। उक्त पट्टा किसी प्रकार से शुन्य व अवैध नहीं होकर विधि अनुकूल है। उक्त वादग्रस्त सम्पति व पट्टे व विक्रय किये जाने की जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से रही है। अतः आप श्रीमान् से निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहिन होने से सव्यय निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। जवाब में यह विशेष कथन किया कि प्रार्थीगण ने यह निगरानी केवल मात्र गैरनिगराकार से अवैध रूप से राशि हडपने के कुउद्देश्य से पेश की है जब कि प्रार्थीगण को यह भलीभांति जानकारी रही है कि वादग्रस्त सम्पति विपक्षी संख्या–2 के स्वामित्व आधिपत्य की थी एवं विपक्षी संख्या–2 ने विपक्षी संख्या–4 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर विकय की है। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या–2 व 3 के साथ धोखाधडी कारित करते हुए प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या–2 व 3 के पिता पन्नालाल जी जो कि जलदाय विभाग में सरकारी कर्मचारी थे जिनकी आकस्मिक निधन हो गया है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त विभाग के कर्मचारियो से मिलीभगत करते हुए पन्नालाल जी की मृत्यू के पश्चात् उनको मिलने वाले समस्त सरकारी परिलाभ व पेंशन की काफी सारी राशि अकेले प्रार्थीगण ने हडप ली एवं अपने पिता की जगह प्रार्थी संख्या–1 सरकारी कर्मचारियो से मिलीभगत करते हुए सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर ली है इस प्रकार अवैध कृत्य करने के बावजुद प्रार्थीगण विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से यह झुठी निगरानी पेश की है जो सव्यय निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या–4 सद्भावी क्रेता है जिसने सप्रतिफल राशि अदा कर वादग्रस्त सम्पति कय की है और कय की दिनांक से मौके पर

काबिज होकर विपक्षी संख्या–4 द्वारा ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त सम्पति पर किसी प्रकार का कब्जा आधिपत्य नही है इसलिये प्रार्थीगण की निगरानी निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी निगरानी वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत बोरज द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में आवासीय भुखण्ड का पट्टा 1575 वर्गफीट का जारी किया गया है। जिसके पडौस पूर्व में बाबुलाल परमार का खेत, नाप 45 फीट, पश्चिम में नानालाल ढिलीवाल का मकान नाप 45 फीट उत्तर में गली व मांगीलाल का मकान नाप 35 फीट एवं दक्षिण में आम रास्ता नाप 35 फीट है। उक्त पडौसो के मध्य के भुखण्ड का पट्टा नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत दिनांक 28.08.2019 को निश्चित शुल्क 200/– रूपये पर जारी किया गया है। उक्त जारी किया गया पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमो की पालना किये बगेर ही जारी कर दिया गया हे। पट्टा जारी करने के संबध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं उसके तहत बनाये गये नियमो की पालना उक्त मामले में नहीं की गई है। इसलिए उक्त पट्टे को निरस्त कराना आवश्यक है। ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं हे। अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया है। उक्त मकान निगराकार व विपक्षीगण संख्या दो तीन का पैतृक मकान है। संयुक्त परिवार का अविभाजित मकान है जिसके संबध में विपक्षी संख्या दो के पक्ष में उक्त पट्टा जारी करने में त्रुटि कारित की है। विपक्षी संख्या दो उक्त मकान का अकेला मालिक नहीं है। मकान पन्नालाल जी के स्वर्गवास के बाद विरासत से सभी पक्षकारान को अर्थात निगराकार एवं विपक्षी संख्या दो व तीन को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है जिसमें सभी का 1/5 1/5 हिस्सा निहित है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बोरज द्वारा दिनांक 28.08.2019 को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 5217 पंजियन दिनांक 14.07.2020 को निरस्त फरमाया जावे। निगराकार के नाम पर उक्त मकान का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को आदेशित/निर्देशित फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 से 04 ने दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया किग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वह अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही जारी किया है जिस सम्पति के संबंध में पट्टा किया गया है वह न तो सयुंक्त है न ही अविभाजित है न ही प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या–2, 3 का 1/5 1/5 हिस्सा है बल्कि विपक्षी संख्या–2 के स्वामित्व आधिपत्य का है। वादग्रस्त मकान विपक्षी संख्या–2 को प्राप्त हुआ है और विपक्षी संख्या–3 को शांतिलाल जी परमार के मकान के पास सम्पति मिली है और इसकी जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से रही है। पट्टा जारी होने की प्रकियां से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पंचायती राज अधिनियम की पालना करते हुए पट्टा जारी किया गया है और उस कार्यवाही के दौरान् प्रार्थीगण को कोई आपत्ति उजर एतराज पंचायत में दर्ज नहीं करवाई है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की त्रुटी कारित नही है। पट्टा जारी करने के संबंध में पंचायत ने जांच कमेटी गठित की है जिसमें मौका पर्चा मुर्तीब किया जिस पर गैरनिगराकार संख्या–2 का कब्जा पाये जाने की स्थिति में पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए सामान्य तौर पर यह पट्टा जारी किया गया है जिस पर प्रार्थीगण ने कोई उजर एतराज नही की है अब इस प्रकार पंजीकृत पट्टे को निरस्त कराने का कोई हक अधिकार नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि गैर निगराकार संख्या 2 श्री दिनेश पिता पन्नालाल भांबी द्वारा ग्राम पंचायत बोरज के समक्ष दिनांक 27.07.2019 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत आबादी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भूमि स्थित अपने रिहायशी मकान का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया। व नोटेरी से प्रमाणित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जिसपर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पत्रावली संधारित कर दिनांक 15.08.2019 को आपति आह्वान जारी किया गया। पट्टा जारी करने के संबंध में पंचायत ने जांच कमेटी गठित की है जांच कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया मौतबिरान की उपस्थिति में पर्चा मौका मुर्तिब किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि श्री दिनेश पिता पन्नालाल भांबी के मकान का पट्टा बनाने में किसी को कोई आपत्ति जाहिर नहीं हुई। तदुपरान्त दिनांक 28.08.2019 को ग्राम पंचायत के कोरम में प्रस्ताव संख्या 2 से श्री दिनेश के पक्ष में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। एवं उक्त प्रस्ताव की पालना में दिनांक 28.08.2019 को गैर निगराकार संख्या 2 श्री दिनेश पिता पन्नालाल भांबी के पक्ष में ग्राम पंचायत बोरज द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) मे यह प्रावधान है कि **"जहां व्यक्ति आबादी भूमि मे पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक है उन्हे निर्धारित शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जा सकता है राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.01.2010 व 01.01.2013 के अनुसार आबादी भूमि मे पुराने गृहो का पट्टा देने से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाना एवं पुराने गृह का विद्यमान होना आवश्यक है।"**

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से न्यायालय का निर्ष्कष यह है कि ग्राम पंचायत बोरज द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार प्रार्थी से प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र लिया गया तत्पश्चात नियमानुसार पत्रावली संधारित की जाकर विधिवत आपत्ति आमंत्रण करके, मौका निरीक्षण कर व ग्राम पंचायत की कोरम में निर्णय लिया जाकर प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया। एवं पट्टा पत्रावली के अवलोकन अनुसार यह भी स्पष्ट है कि निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रश्नगत पट्टा जारी करने के क्रम में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। चुंकि ग्राम पंचायत बोरज द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पंचायतीराज अधिनियम में निहित नियमों की पालना की जाकर गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। ग्राम पंचायत बोरज को मूल पट्टा पत्रावली मय निर्णय की प्रति के लौटायी जावे।

28/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)